रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1254/2026/1782/22-2-2025-17(1031)/2025
लखनऊ: दिनांक: 28 सितम्बर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी पीरबक्श (बन्दी सं0-192/2020) पुत्र श्री मासूम अली, ग्राम-कुम्हाबान थाना-शिवगढ, जनपद-रायबरेली का निवासी है, बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 396/2020 में भा0द0वि0 की धारा-5/6 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम/अपर सत्र न्यायाधीश रायबरेली के दण्डादेश दिनांक 09.06.2022 द्वारा 20 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में बंदी की अपील लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 30.04.2025 तक 05 वर्ष 01 माह 12 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष 05 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1254/2026/1782(1)/22-2-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली।
3- पुलिस अधीक्षक रायबरेली।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, रायबरेली।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।